

नगर निगम, कोटा दक्षिण

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KOTA SOUTH/FIRENOC/2025-26/52535
जारी दिनांक: 24-MAY-2025 वैधता दिनांक: 23-MAY-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: TABASSUM PATHAN
आवेदक का पता: SHUBHAM ENCLAVE

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SUGRA SHIKSHAN SANSTHAN, BLOCK B, NH 27 RAWATBHATA ROAD, NAYAGAON, KOTA SOUTH, KOTA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थाई (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- उक्त फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी दिनांक से वैधता दिनांक तक ही मान्य होगा। उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः गिरस्त माना जावेगा। फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण हेतु वैधता दिनांक से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- आवेदित भवन/ईमारत का निर्माण स्वीकृति के अनुसार प्रचलित नियमों के तहत करवाया जाना होगा।
- भवन/ईमारत में भवन की प्रकृति के अनुरूप फायर हाइड्रैण्ट, वेट-राइजर सिस्टम मथ होज रील, होज-पाइप, आपातकालीन बचाव की सीडिया/आपातकालीन निकास द्वार (फायर एस्केप), हीट डिटेक्टर एवं बीम डिटेक्टर फायर सेपरेशन सिस्टम, रिप्रंकलर सिस्टम, पम्प रूम, स्मोक डिटेक्टर, फायर एलार्म सिस्टम, अग्नि सुरक्षा के लिये ओवर हेड एवं अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक मोड्यूलर, पोर्टेबल फायर उपकरण आदि नोनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार स्थापित किये जाने होंगे।
- बहुमंजिला भवनो मे फायर वाहन के संचालन हेतु न्यूनतम 3.60 मीटर चौड़ा सुरक्षित गलियारा भवन के चारों ओर बिना अवरोध छोड़ा जाना अनिवार्य होगा। गलियारो मे किसी भी प्रकार की पार्किंग व अस्थाई निर्माण आदि निशेद होगा यदि 4.50 मीटर चौड़ा रेम्प सैटबैक मे बनाया जाता है जो कि किसी भी तरह से बन्द ना हो एवं प्रवेा और निकास हेतु बिना अवरोध उपलब्ध हो तो उसे फायर वाहन के आवागमन हेतु गलियारा माना जा सकता है।
- भवन/परिसर की ऊचाई आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र व प्रस्तुत मानचित्र (आर्किटेक प्रमाणित द्वारा वर्तमान में निर्मित या प्रस्तावित या यूआईटी/निगम/रीको विभाग) से स्वीकृत नक्शे में अंकितानुसार मानी जावेगी।
- अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र/अभिंशा पत्र हेतु स्वीकृत नक्शे में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि/प्लेट रहवासी संबंधी कोई प्रकरण विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस संबंध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किये जाते है तो आवेदनकर्ता/संचालक/व्यवस्थापक द्वारा मान्य होंगे।
- आवेदक का फायर एन.ओ.सी. राशि तथा फायर सुविधा उपलब्ध एवं भुद्धिकरण राशि/फायर सेस एवं फायर से संबंधित अन्य कोई राशि यदि बकाया रहता है तो राज्य सरकार के द्वारा जारी समय-समय पर परिपत्र अनुसार गणना की जाकर नियमानुसार राशि जमा कराया जाना होगा। इसके अभाव में यह अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र/अभिंशा पत्र गिरस्त माना जावेगा।
- फायर प्रिवेन्शन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नोनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जावे इस हेतु पुनः आवेदन कर निगमानुसार मौका निरीक्षण पचात् स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही भवन का उपयोग लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड मालिक/आवेदक अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु नगर निगम स्वतंत्र रहेगा।



Signed by: Rakesh Vyas
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: KOTA SOUTH, Rajasthan
Date: 24/05/2025 13:25:06

अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, कोटा दक्षिण

नगर निगम, कोटा दक्षिण

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

10. अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त पचात या निर्माण कार्य पूर्ण होने के पचात् स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिर्वाय होगा एवं यदि कोई अग्निशमन प्रावधानों में त्रुटि/कमी पाई जाती है तो राज्य सरकार के नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त भासन विभाग के द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.17 (1) नविचि/नियम/2020 दिनांक 21.01.2020 के नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/7(एफ) के अन्तर्गत सीज के अन्तर्गत भवन को सीज किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।



Signed by: Rakesh Vyas
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: KOTA SOUTH, Rajasthan
Date: 24/05/2025 13:25:06

अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, कोटा दक्षिण

नगर निगम, कोटा दक्षिण

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KOTA SOUTH/FIRENOC/2025-26/52526
जारी दिनांक: 23-MAY-2025 वैधता दिनांक: 22-MAY-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: TABASSUM PATHAN
आवेदक का पता: SHUBHAM ENCLAVE

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन SUGRA SHIKSHAN SANSTHAN, BLOCK A, NH27 RAWATBHATA ROAD, NAYAGAON, KOTA SOUTH, KOTA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थायी (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

- उक्त फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी दिनांक से वैधता दिनांक तक ही मान्य होगा। उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः गिरस्त माना जावेगा। फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण हेतु वैधता दिनांक से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- आवेदित भवन/ईमारत का निर्माण स्वीकृति के अनुसार प्रचलित नियमों के तहत करवाया जाना होगा।
- भवन/ईमारत में भवन की प्रकृति के अनुरूप फायर हाइड्रेंट, वेट-राइजर सिस्टम मय होज रील, होज-पाइप, आपातकालीन बचाव की स्टीडिया/आपातकालीन निकास द्वार (फायर एस्केप), हीट डिटेक्टर एवं बीम डिटेक्टर फायर सेपरेटन सिस्टम, रिप्रंकलर सिस्टम, पम्प रूम, स्मोक डिटेक्टर, फायर एलार्म सिस्टम, अग्नि सुरक्षा के लिये ओवर हेड एवं अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक मोड्यूलर, पोर्टेबल फायर उपकरण आदि नोनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार स्थापित किये जाने होंगे।
- बहुमंजिला भवनो मे फायर वाहन के संचालन हेतु न्यूनतम 3.60 मीटर चौड़ा सुरक्षित गलियारा भवन के चारों ओर बिना अवरोध छोड़ा जाना अनिवार्य होगा। गलियारो मे किसी भी प्रकार की पार्किंग व अस्थायी निर्माण आदि निशेद होगा यदि 4.50 मीटर चौड़ा रेम्प सैटबैक मे बनाया जाता है जो कि किसी भी तरह से बन्द ना हो एवं प्रवेा और निकास हेतु बिना अवरोध उपलब्ध हो तो उसे फायर वाहन के आवागमन हेतु गलियारा माना जा सकता है।
- भवन/परिसर की ऊर्चाई आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र व प्रस्तुत मानचित्र (आर्किटेक प्रमाणित द्वारा वर्तमान में निर्मित या प्रस्तावित या यूआईटी/निगम/रीको विभाग) से स्वीकृत नक्शे में अंकितानुसार मानी जावेगी।
- अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र/ अभांशा पत्र हेतु स्वीकृत नक्शे में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि/प्लेट रहवासी संबंधी कोई प्रकरण विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस संबंध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किये जाते हैं तो आवेदनकर्ता/संचालक/व्यवस्थापक द्वारा मान्य होंगे।
- आवेदक का फायर एन.ओ.सी. राशि तथा फायर सुविधा उपलब्ध एवं भुद्धिकरण राशि/फायर सेस एवं फायर से संबंधित अन्य कोई राशि यदि बकाया रहता है तो राज्य सरकार के द्वारा जारी समय-समय पर परिपत्र अनुसार गणना की जाकर नियमानुसार राशि जमा कराया जाना होगा। इसके अभाव में यह अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र/अभांशा पत्र गिरस्त माना जावेगा।
- फायर प्रिवेनन, फायर प्रोटेसन हेतु नोनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जावे इस हेतु पुनः आवेदन कर निगमानुसार मौका निरीक्षण पश्चात् स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही भवन का उपयोग लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड मालिक/आवेदक अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु नगर निगम स्वतंत्र रहेगा।



Signed by: Rakesh Vyas
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: KOTA SOUTH, Rajasthan
Date: 23/05/2025 10:18:13

अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, कोटा दक्षिण

नगर निगम, कोटा दक्षिण

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

10. अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि समाप्ति पचात या निर्माण कार्य पूर्ण होने के पचात् स्थाई अग्निमन अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिर्वाय होगा एवं यदि कोई अग्निमन प्रावधानों में त्रुटि/कमी पाई जाती है तो राज्य सरकार के नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त भासन विभाग के द्वारा जारी आदे क्रमांक प.17 (7) नविनि/नियम/2020 दिनांक 21.01.2020 के नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/7(एफ) के अन्तर्गत सीज के अन्तर्गत भवन को सीज किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।



Signed by: Rakesh Vyas
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: KOTA SOUTH, Rajasthan
Date: 23/05/2025 18:18:13

अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, कोटा दक्षिण